कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव।
पत्रांक 3202/14–1 दिनांक, उन्नाव, मार्च, 27 2017.

सेवा में,

अधिशाषी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड–1,
लोक निर्माण विभाग,
उन्नाव।

विषय :– उन्नाव में बिलग्राम–उन्नाव–इलाहाबाद राजमार्ग संख्या–38 के चैनेज 37.170 से 39.900 के मध्य लोक निर्माण विभाग, उन्नाव द्वारा सड़क चौड़ीकरण में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 3.132 हे0 के गैर वानिकी प्रयोग तथा बाधक 197 वृक्षों के पातन की अनुमति से सम्बन्धित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या का प्रेषण।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के कार्यालय की पत्र सं0– 8 बी/यू0पी0/06/104/2016/एफ0सी0/569 दिनांक 21–03–2017,

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र जो नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ को सम्बोधित तथा अधोहस्ताक्षरी व आपको पृष्ठांकित है, के द्वारा विषयगत प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुपालन आख्या चाही गयी है। विवरण निम्न प्रकार है :–

शर्त संख्या	भारत सरकार की शर्तें	अनुपालन हेतु कार्यवाही
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (3.132×2=6.264 हे0) अर्थात् 6.264 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	नवाबादग्रन्ट वन ब्लाक में 6.264 हे0 क्षतिपूरक बनीकरण कार्य तथा 10 वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा जिस पर रू0 17,98,850.00 मात्र का व्यय प्रस्तावित है। याचक विभाग द्वारा धनराशि उपलब्ध कराना आपेक्षित है।
2 (क)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या– 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	परियोजना हेतु प्रभावित 3.132 हे0 वन भूमि जिसका वर्तमान मूल्य रू0 6,26,000.00 प्रति हे0 की दर से रू0 19,60,632.00 का व्यय प्रस्तावित है। याचक विभाग द्वारा धनराशि उपलब्ध कराना अपेक्षित है।
(ख)	इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद व छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्वार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि एवं एन0पी0वी0 की धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	याचक विभाग द्वारा अपेक्षित।
(ग)	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण–पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण से बचनबद्धता प्रमाण–पत्र अपेक्षित।

3	विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरणा के व्यय पर किया जायेगा। आक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (backward) उनकी दशा (bearing) भी लिखनी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण से बचनबद्धता प्रमाण–पत्र अपेक्षित।
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता–पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण (NGT) सैंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना–पत्र संख्या– 27/2015 बाबू लाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16–11–2015 में दिये गये आदेश की अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा–निर्देशन में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण से बचनबद्धता प्रमाण–पत्र अपेक्षित।
5	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा–निर्देशों का पालन करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण से बचनबद्धता प्रमाण–पत्र अपेक्षित।

उपरोक्त सभी शर्तों का अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रस्तुत करने का कष्ट करें ताकि विधिवत् स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(वी0के0मिश्र)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन एवं
वन्य जीव विभाग,उन्नाव

पत्रांक /उक्तदिनांकित

1– प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी, बाँगरमऊ को प्रेषित कि मौके का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि बिना कार्यानुमति के बैगर कोई भी कार्य न कराया जाय।

2– प्रतिलिपि क्षेत्रीय वनाधिकारी, बाँगरमऊ को प्रेषित कि कि मौके का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि बिना कार्यानुमति के बैगर कोई भी कार्य न कराया जाय।

(वी0के0मिश्र)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन एवं
वन्य जीव विभाग,उन्नाव

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सा0 वा0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग, उन्नाव।
पत्रांक /14-1 दिनांक, उन्नाव, अप्रैल 21- 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण अधिनियम, 1980
उ0प्र0 लखनऊ

विषय :- उन्नाव में बिलग्राम-उन्नाव-इलाहाबाद राजमार्ग संख्या-38 के चैनेज 37.170 से 39.900 के मध्य लोक निर्माण विभाग, उन्नाव द्वारा सड़क चौड़ीकरण में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 3.132 हे0 के गैर वानिकी प्रयोग तथा बाधक 197 वृक्षों के पातन की अनुमति से सम्बन्धित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या का प्रेषण।

संदर्भ :- Demand Latter on line Rejected by Nodal Officer दिनांक 10.04.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भ Demand Latter on line Rejected by Nodal Officer दिनांक 10.04.2017 के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूरक वनीकरण का अनुमानित प्राक्कलन 2000 गड्ढा प्रति हे0 की दर से तथा 10 वर्षों तक अनुरक्षण कार्यों में सुरक्षा श्रमिक, प्रत्येक वर्ष 360 दिन 174/- प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तावित किया गया था। मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ के कार्यालय की पत्र संख्या-128/2-37-2 (सीलिंग दर) दिनांक 05.08.2016 **(छाया प्रति संलग्न)** द्वारा निर्धारित सीलिंग दर के अनुसार 625 पौध प्रति हे0 की दर से याचक विभाग से क्षतिपूरक वनीकरण हेतु धनराशि की डिमाण्ड की गयी है। डिमाण्ड की गयी धनराशि का विस्तृत प्राक्कलन **(संलग्न-2)** के रूप में संलग्न है।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय

(वी0के0 मिश्र)
प्रभागीय निदेशक,
सा0वा0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
उन्नाव

पत्रांक 3550/समदिनांक

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(वी0के0 मिश्र)
प्रभागीय निदेशक,
सा0वा0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
उन्नाव